Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

(भाग-2)

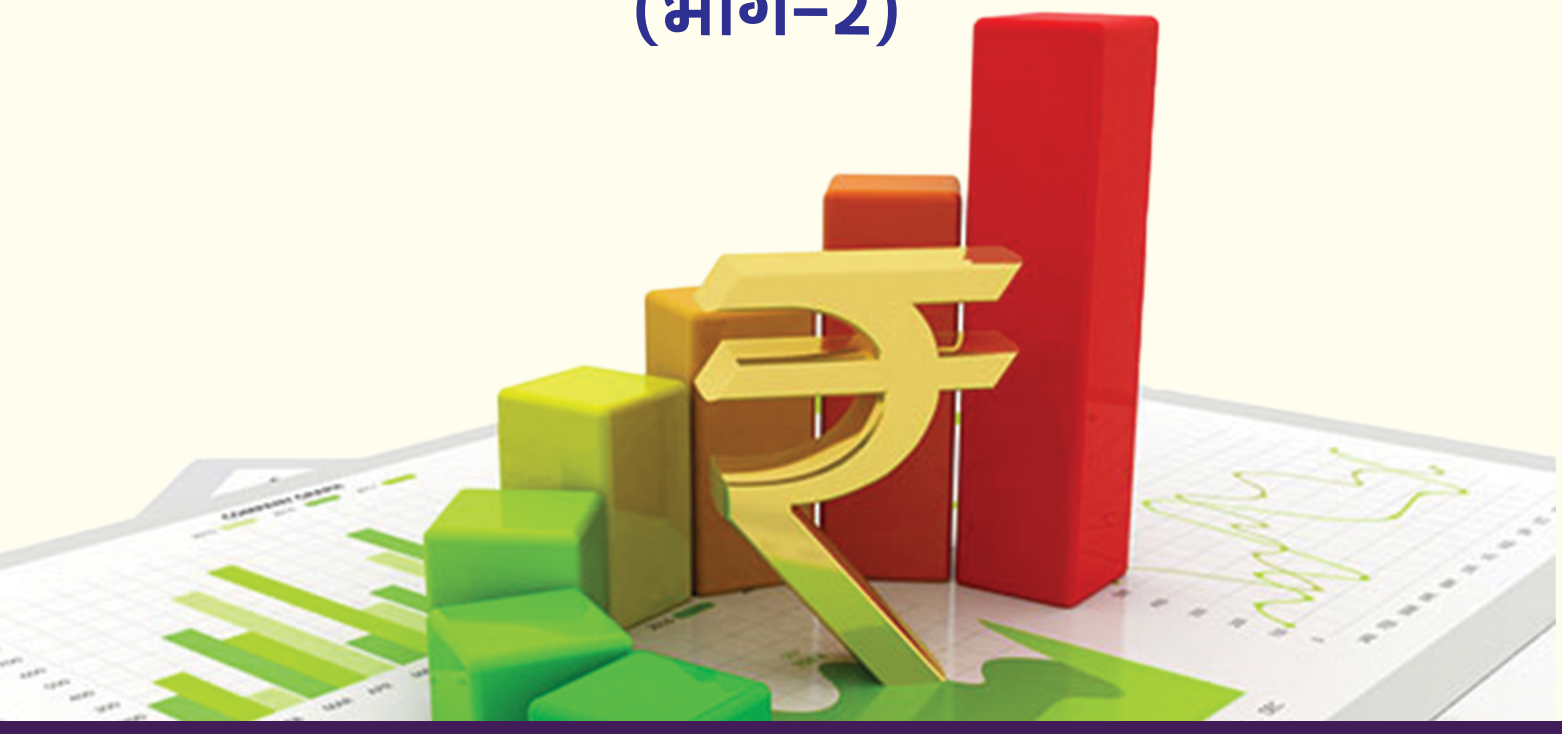

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM29

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

10. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली **5–115**

10.1 वित्तीय बाज़ार 6
10.2 मुद्रा बाज़ार 8
10.3 पूंजी बाज़ार 16
10.4 शब्दावली 24
10.5 बैंकिंग 27
10.6 केंद्रीय बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक 34
10.7 मौद्रिक नीति 45
10.8 वाणिज्यिक बैंकों के कार्य 51
10.9 अन्य बैंकिंग संस्थाएँ 56
10.10 वित्तीय समावेशन 70
10.11 बैंकिंग सुधार 92
10.12 बैंकिंग शब्दावली 97
10.13 छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के स्रोत 104

11. निवेश मॉडल एवं पूंजी निर्माण **116–140**

11.1 निवेश एवं बचत में संबंध 118
11.2 निवेश मॉडल 123
11.10 पीपीपी मॉडल के लाभ 129
11.3 विनिवेश 133

12. लोक वित्त **141–174**

12.1 लोक वित्त की विषय-सामग्री 141
12.2 सार्वजनिक वस्तुएँ बनाम निजी वस्तुएँ 143
12.3 राजकोषीय नीति 147
12.4 बजट 148
12.5 बजट में सुधार 161
12.6 सार्वजनिक ऋण 164
12.7 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 167

13. खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक **175–205**

13.1 खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्त्वपूर्ण क्यों है? 175
13.2 वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 176
13.3 सतत् विकास लक्ष्य-2 177
13.4 खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रम 179
13.5 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 191

13.6 खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 191
13.7 खाद्यान्न प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा 192
13.8 भारतीय खाद्य निगम 195
13.9 भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की रिपोट 196
13.10 विश्व व्यापार संगठन और खाद्य सुरक्षा 197
13.11 खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 197
13.12 कृषि कीमत नीति 200

14. सतत् विकास एवं समावेशी विकास 206–217
14.1 सतत् विकास 206
14.2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय 211
14.3 सतत् विकास हेतु भारत के प्रयास 212
14.4 समावेशी विकास 215

15. भारत का वैदेशिक क्षेत्र 218–284
15.1 भुगतान संतुलन खाता 218
15.2 विदेशी विनिमय दर 230
15.3 मुद्रा का मूल्यह्रास 235
15.4 विदेशी व्यापार 241
15.5 विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 249
15.6 विशेष आर्थिक क्षेत्र 252
15.7 क्षेत्रीय व्यापार समझौते 255
15.8 विदेशी निवेश 261
15.9 भारतीय निर्यात-आयात बैंक 268
15.10 निर्यात ऋण गारंटी निगम 269
15.11 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 270

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन 285–295
16.1 अनुसूचित जाति 285
16.2 अनुसूचित जनजाति 286
16.3 अन्य पिछड़ा वर्ग 290
16.4 अल्पसंख्यक वर्ग 293

17. छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण 296–305
17.1 छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सशक्तीकरण 296
17.2 आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के प्रयास 301
17.3 छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति 302

18. छत्तीसगढ़: आर्थिक समीक्षा एवं बजट 306–320
18.1 आर्थिक समीक्षा, 2018-19 306
18.2 छत्तीसगढ़ बजट, 2019-2020 309

अध्याय
10

बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली
(Banking and Financial System)

वित्त क्या है? *(What is Finance?)*

मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। इससे संबद्ध दो प्रमुख पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं-

- **वित्तीय विनिमय** (Financial Exchange): ऋण लेने एवं ऋण देने की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है।
- **वित्तीय बाज़ार** (Financial Market): एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, वित्तीय बाज़ार कहलाती है।

वित्तीय व्यवस्था का महत्त्व *(Importance of Financial System)*

वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों एवं सरकार द्वारा वित्त की मांग की जाती है तथा इसकी पूर्ति भी की जाती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो पहलू हैं- 1. मांग 2. पूर्ति। मांग व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियों और सरकार आदि द्वारा की जाती है, जबकि पूर्ति बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है।

वित्तीय व्यवस्था का महत्त्व निम्नलिखित है-

- वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध सभी भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम, मितव्ययी और कुशलतम उपयोग करके लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है।
- वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही उत्पादन के तत्त्वों, सामग्री, मशीन, बाज़ार, श्रम और पूंजी की उपलब्धता संभव हो पाती है।
- वित्तीय व्यवस्था द्वारा यह संभव हो पाता है कि धन का उपयोग कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाए।
- लाभांश के रूप में अंशधारकों को कितनी मात्रा में धन का भुगतान किया जाए और कितनी राशि व्यवसाय के लिये रखी जाए।
- वित्तीय व्यवस्था द्वारा कोषों की व्यवस्था एवं उसकी वृद्धि कहाँ से और कितनी मात्रा में की जाए, इसका प्रबंध करती है।

वित्तीय व्यवस्था के अंग *(Organs of Financial System)*

वित्तीय सेवाएँ (Financial Services)

वित्तीय सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ हैं-

- बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय संस्थान।
- ऋण राहत या सहायता सेवाएँ।
- ऋण उत्पाद और सेवाएँ
- निवेश परामर्श और संभावनाएँ तथा धन बढ़ाने की सिफारिश।
- बीमा उत्पाद, पेंशन और सेवाएँ।
- मुद्रा विनिमय, व्यापार और संबंधित सेवाएँ।
- प्रतिभूतियाँ।
- ग्राहकों को ऋण देना, ग्राहकों का धन जमा रखना, निधि अंतरण करना एवं बैंक ड्राफ्ट देना।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रायपुर एवं 12 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन बैंकों का विलय छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर एवं 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में करने हेतु योजना प्रस्तावित हैं। इन बेंकों के विलय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के लिये विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को दिनांक 29.10.2012 को प्रस्ताव प्रेषित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान के अंतर्गत बैंकों के विलय की कार्यवाही की जावेगी।

विभाग की प्रमुख वित्तीय योजनाएं *(Majou Financial Plans of the Department)*

राज्य पोषित योजनाएं

1. प्रदेश के कृषकों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने से सहकारी बैंकों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता।
2. प्राथमिक विपणन समितियों को हिस्सा पूंजी में भागीदारी बढ़ाने के लिये समिति के अंश क्रय कर आर्थिक सहायता।
3. लैम्पस/पैक्स में जनभागीदारी बढ़ाने के लिये अंशक्रय हेतु सदस्यों को अनुदान दिया जाता है।
4. नवगठित लैम्पस की प्रबंधकीय भार कम करने के लिये आर्थिक सहायता।
5. प्रो. वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा लागू किये जाने के लिये अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ करने के लिये आर्थिक सहायता।
6. केंद्रीय सहकारी बैंकों को अंशपूंजी में धनवेष्ठन कर बैंक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना।
7. राज्य शासन द्वारा पैक्स/लैम्पस की अंशपूंजी में वृद्धि करना।
8. प्रदेश में शक्कर कारखाना को कृषकों से गन्ना क्रय हेतु कार्यपूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
9. विपणनसहकारी समितियों को गोदामों के निर्माण हेतु अनुदान एवं धनवेष्ठन के रूप में सहायता प्रदान करना।
10. विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि सेसशक्त करने हेतु सहायता प्रदान करना।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक 'पंजाब नेशनल बैंक' (1894) था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक को 1 अप्रैल, 1935 को ₹ 5 करोड़ की चुकता पूंजी से चालू किया गया था। सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- ए.डी. गोरावाला समिति की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई, 1955 को हुई थी। फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। देश में बीमा क्षेत्र का निजीकरण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास हेतु प्रमुख संस्था है।
- सीमांत ऋण सुविधा (MSF) के अंतर्गत केवल अनुसूचित बैंक को शामिल किया जाता है। वर्तमान में मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- 1 मार्च, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर (गुजरात) में की गई।
- फर्म या कंपनी जो इस रूप में संगठित हो जिसमें शेयर धारक अथवा इसके स्वामियों का दायित्व सीमित हो, लिमिटेड (Ltd.) कंपनी कहलाती है। 'इनसाइड ट्रेडिंग' शेयर बाज़ार से संबंधित है। 'रेजीडेक्स' सूचकांक भूमि कीमतों से संबंधित है।

- भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी विनिवेश के लिये 'रंगराजन समिति' गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में सौंपी।
- नाबार्ड ग्रामीण वित्त की शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं (राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है।
- बिटक्वाइंस एक आभासी मुद्रा (Virtual currency) है। इसका विकास सांतोष नाकामोतो नामक प्रोग्रामर द्वारा किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है।
- प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह झांग (पंजाब) में स्थित था। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार हेतु ऋण प्रदान करता है तथा इस हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण दीर्घकालिक प्रकृति का होता है।
- ब्लैक मनी से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है, जिसे प्राय: उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है।
- ICICI बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया। ICICI ने कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा प्रारंभ की है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने चीन के गुआंगजाऊ में अपनी पहली शाखा खोली थी जबकि निजी बैंकों में सर्वप्रथम एक्सिस बैंक ने चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी।
- 'ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया' (OTCEI) लघु व मध्यम इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में भारत का प्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। बी.एस.ई. ग्रीनेक्स में 25 कंपनियाँ सम्मिलित हैं।
- सरकारी बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या को हल करने के लिये दीर्घकालीन योजना 'प्रोजेक्ट सशक्त' शुरू की गई है। सुनील मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है।
- रिज़र्व बैंक गैर-खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता।
- सेबी ने कंपनी बोर्ड के संचालन संबंधी नियमों में सुधार के लिये सुझाव हेतु उदय कोटक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने कई प्रमुख अनुशंसाएँ की हैं, जैसे- किसी कंपनी में कम-से-कम गैर-कार्यकारी निदेशक बनाया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्र करने का सुझाव, पारदर्शिता, स्वायत्तता आदि हैं। इस समिति का संबंध निगमीय प्रशासन से है।
- एस.बी.आई. बैंक द्वारा 'सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड' योजना प्रारंभ की गई थी।
- वर्ष 2014 में बिमल जालान व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्ष 2011 में मालेगाम समिति की सिफारिश पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किये गए थे।
- आर.बी.आई. द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन-पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिये बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। 31 मार्च, 2015 तक आर.बी.आई. द्वारा आई.डी.एफ.सी. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया।
- ग्रामीण अवस्थापना कोष का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया गया है।
- फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ए.टी.एम. का उद्घाटन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया था। सर्वप्रथम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने चलती-फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी। ए.टी.एम. से तात्पर्य ऑटोमेटेड टेलर मशीन से है।
- आर.बी.आई. का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश की राज्य सरकारों के व्यापार का संचालन करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार जून 2012 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग 37% था।
- स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है।
- इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है तथा ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जब भारतीय रिज़र्व बैंक कैश रिज़र्व रेशियों (CRR) में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है-

CGPCS (Pre) 2017

(a) संघीय सरकार के पास उधार देने के लिये कम मुद्रा रहेगी
(b) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उधार देने के लिये कम मुद्रा रहेगी
(c) व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी
(d) उपर्युक्त सभी
(e) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें।

CGPCS (Pre) 2017

1. 14 प्रमुख बैंको का राष्ट्रीयकरण
2. SBI का राष्ट्रीयकरण
2. RBI का राष्ट्रीयकरण
2. LIC का राष्ट्रीयकरण

कोड:

(a) 3,2,4,1 (b) 2,3,4,1
(c) 3,4,2,1 (d) 4,3,2,1
(e) इनमें से कोई नहीं

3. 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या क्या थी?

CGPCS (Pre) 2016

(a) 1 करोड़ 19 लाख 39 हज़ार से अधिक
(b) 80 लाख से अधिक
(c) 91 लाख से 15 हज़ार से अधिक
(d) 91 लाख 46 हज़ार से अधिक
(e) इनमें से कोई नहीं

4. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर थी-

CGPCS (Pre) 2015

(a) 8.75 प्रतिशत (b) 6.75 प्रतिशत
(c) 7.75 प्रतिशत (d) 9.75 प्रतिशत
(e) इनमें से कोई नहीं

5. 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' आरंभ की गयी।

CGPCS (Pre) 2014

(a) 25 अगस्त 2014 में (b) 26 अगस्त 2014 में
(c) 27 अगस्त 2014 में (d) 28 अगस्त 2014 में
(e) इनमें से कोई नहीं

6. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'खुला बाज़ार प्रचालन' किसे निर्दिष्ट करता है?

(a) अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना।
(b) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना।
(c) RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

7. भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है?

(a) कृषि
(b) लघु (माइक्रो) एवं छोटे उद्यम
(c) दुर्बल वर्ग
(d) उपर्युक्त सभी

8. भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है?

(a) वाणिज्यिक बैंकों की
(b) सहकारी बैंकों की
(c) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की
(d) सूक्ष्म-वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थाओं की

9. भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?

(a) केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(b) केंद्रीय वित्त आयोग
(c) भारतीय बैंक संघ
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी बाज़ार प्रणाली का उदाहरण है?

(a) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(b) कॉल मार्केट
(c) वाणिज्यिक बैंक
(d) रेपो बाज़ार

उत्तरमाला

1. (c) 2. (a) 3. (b) 4. (c) 5. (d) 6. (c) 7. (d) 8. (a) 9. (d) 10. (a)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. सस्ती मुद्रा नीति का क्या आशय है? **CGPCS (Mains) 2018**
2. रिपो-दर एवं प्रतिलोम रिपो-दर को स्पष्ट कीजिये। **CGPCS (Mains) 2016**
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से आपका क्या आशय है? **CGPCS (Mains) 2013**
4. 'अग्रणी बैंक' योजना क्या है? **CGPCS (Mains) 2013**
5. 'रिवर्स रेपोरेट' से आप क्या समझते है? **CGPCS (Mains) 2012**
6. 'नगद कोस अनुपात' तथा 'वैधानिक तरलता अनुपात' में क्या अंतर है? **CGPCS (Mains) 2012**
7. डिज़िटल मुद्रा को उदाहरण सहित समझाइये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में अंतर बताइये। **CGPCS (Mains) 2018**
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2017–18 की नई नीति को समझाइये। **CGPCS (Mains) 2016**
3. प्रधानमंत्री 'जन-धन-योजना' के औचित्य को स्पष्ट कीजिये। **CGPCS (Mains) 2016**
4. भारतीय मुद्रा बाज़ार तथा पूँजी बाज़ार के मध्य क्या अंतर है? **CGPCS (Mains) 2013**
5. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या समझते है? टिप्पणी कीजिये।
6. सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कैसे अलग है? समझाइये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. छत्तीसगढ़ में प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी समिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये। **(100 शब्द) CGPCS (Mains) 2016**
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं समस्याएँ कौन सी हैं? इन बैंकों की सफलता हेतु सकारात्मक सुझाव दीजिये। **(250 शब्द) CGPCS (Mains) 2016**
3. भारत में मौद्रिक नीति के घटकों की व्याख्या कीजिये। **(100 शब्द) CGPCS (Mains) 2013**
4. "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक" (NABARD) के द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास में किये गये योगदान को बताइये। **(250 शब्द) CGPCS (Mains) 2012**
5. "राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से आप क्या समझते है? इसके कार्य एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिये।

अध्याय
11

निवेश मॉडल एवं पूंजी निर्माण (Investment Model and Capital Formation)

पूंजी उत्पादन का महत्त्वपूर्ण कारक है। यह उन मानवकृत वस्तुओं का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिये किया जाता है। उत्पादन के उत्पादित कारकों के स्टॉक को 'पूंजी' कहते हैं। पूंजी के स्टॉक का तात्पर्य उत्पादकों की उत्पादन क्षमता से है। उत्पादकों के पास पूंजी का जितना अधिक स्टॉक होगा, उनकी उत्पादन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी स्टॉक में लगातार वृद्धि हो। अत: एक वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का 'निवेश' कहते हैं। इसे 'पूंजी निर्माण' भी कहा जाता है।

ऐसा व्यय जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है, निवेश कहलाता है। निवेश का उत्पादन पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है-

अल्पकालिक प्रभाव (Short-Term Effects)	दीर्घकालिक प्रभाव (Long-Term Effects)
यदि निवेश द्वारा वर्तमान उत्पादन क्षमता के दोहन (Utilization) में सुधार किया जाए तो उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि होती है। उदाहरण के लिये- यदि किसान खेती में अच्छे बीज और उर्वरक का इस्तेमाल करता है तो उस वर्ष फसल अच्छी होती है।	ऐसा निवेश जिससे उत्पादन क्षमता में दीर्घकालिक विस्तार हो और यह निवेश उत्पादन की सतत् वृद्धि का कारण बनता है। उदाहरण के लिये, किसान ट्रैक्टर खरीदकर कई वर्षों तक उसकी सेवा लेकर उत्पादन बढ़ा सकता है।

निवेश के प्रकार *(Types of Investment)*

- **स्थायी निवेश (Fixed Investment)**- स्थायी निवेश से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि से है। उत्पादकों द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं भूमि, भवन, संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों आदि की खरीद पर किया गया व्यय 'स्थायी निवेश' कहलाता है।

  स्थायी निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-

  - **व्यावसायिक स्थायी निवेश**- संयंत्रों, मशीनों एवं उपकरणों पर किया गया निवेश।
  - **सार्वजनिक स्थायी निवेश**- आधारभूत अवसंरचना पर किया गया निवेश। जैसे- सड़कों, बाँधों तथा पुलों के निर्माण पर किया गया निवेश।
  - **गृह निर्माण निवेश**- आवास सुविधाओं अथवा आवास निर्माण पर किया गया निवेश।

- **माल सूची निवेश (Inventory Investment)**- किसी निश्चित समय पर उत्पादकों के पास जो वस्तुओं का स्टॉक होता है, उसे 'माल सूची' कहते हैं। सामान्यतया माल सूची में तीन प्रकार की वस्तुएँ शामिल होती हैं-

  - कच्चा माल का स्टॉक
  - अर्द्ध निर्मित वस्तुओं का स्टॉक
  - निर्मित वस्तुओं का स्टॉक

समय के साथ-साथ माल सूची में परिवर्तन होता रहता है। एक वित्तीय वर्ष में माल सूची के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का 'माल सूची निवेश' कहते हैं। माल सूची में परिवर्तन नियोजित अथवा अनियोजित हो सकता है। निर्मित वस्तुओं की बिक्री में अप्रत्याशित कमी होने पर फर्म के पास वस्तुओं का अबिक्रित स्टॉक रह जाता है। इस स्थिति में माल सूची का अनियोजित संचय होगा। इसके विपरीत जहाँ बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, वहाँ माल सूची में अनियोजित अपसंचय होगा। प्रत्येक फर्म को बाज़ार की अनियमितताओं से निपटने के लिये माल सूची में निवेश करना आवश्यक होता है।

अध्याय
12

लोक वित्त
(Public Finance)

लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय-व्यय का अध्ययन करती है अर्थात् लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

डॉ. डाल्टन के अनुसार, "लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय-व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है।

प्रो.सी.एल. बैस्टेल के अनुसार, 'लोक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। समग्रता से लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय-व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों से है। वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है-

12.1 लोक वित्त की विषय-सामग्री *(Subject Matter of Public Finance)*

लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nation' (1776) के खंड 5 में लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड में तीन अध्याय हैं जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. **सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन-किन मदों पर करना आवश्यक है, सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। सार्वजनिक व्यय करते समय किन-किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए।

   सार्वजनिक प्राधिकरणों, यथा- केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर-विकासात्मक व्यय के रूप में बाँटा जाता था, परंतु अब 1987-88 से कुल सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा रहा है-

   - योजनागत व्यय या आयोजन व्यय
   - गैर-योजनागत व्यय या आयोजन भिन्न व्यय।

2. **सार्वजनिक आय (Public Revenue):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन-किन स्रोतों से प्राप्त करती है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा उनके सापेक्षिक महत्त्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आय के इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी अध्ययन किया जाता है।

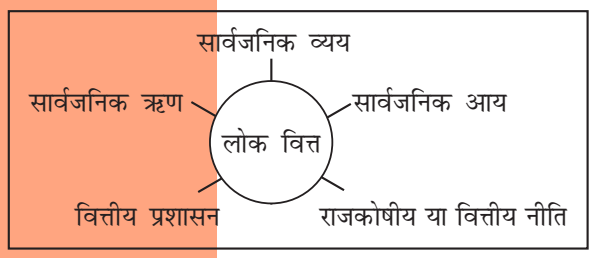

संक्षेप में, सरकार की कुल प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। सरकार की कुल प्राप्तियों का दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है-

- राजस्व प्राप्तियाँ
- पूंजीगत प्राप्तियाँ

अध्याय
13

खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक
(Food Security and Buffer Stock)

खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है, जब स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनयापन के लिये निरंतर पर्याप्त, सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की उपलब्धता और इसकी सुगम पहुँच सुनिश्चित हो।

खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि समग्रता में खाद्यान्नों अर्थात् भोजन की उपलब्धता हो एवं इसके साथ-साथ व्यक्तियों व परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो, ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न खरीद सकें। जहाँ तक पर्याप्त उपलब्धता का संबंध है, इसके दो पहलू हैं:

- **मात्रात्मक पहलू:** अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके।
- **गुणात्मक पहलू:** जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization–FAO) द्वारा खाद्य सुरक्षा की व्यापक व्याख्या की गई है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के लिये मूलत: निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है–

- **उपलब्धता:** खाद्यान्न हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- **किफायती:** खाद्यान्न किफायती होने चाहिये एवं लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये आर्थिक पहुँच होनी चाहिये अर्थात् नागरिकों के पास खाद्यान्नों की आवश्यक क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity–PPP) होनी चाहिये।
- **समावेशन:** खाद्यान्न सुरक्षित और पोषक होने चाहिये, ताकि वे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकें।
- **स्थिरता:** खाद्यान्न प्रणाली उचित रूप से स्थिर होनी चाहिये। खाद्यान्न प्रणाली में अधिक अस्थिरता का न केवल गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अपितु यह राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता को भी जोखिम में डाल देता है।

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा *(Definition of Food Security)*

"सभी व्यक्तियों के लिये हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिये पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा होती है।" (विश्व विकास रिपोर्ट, 1986)

"सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिये आवश्यक बुनियादी भोजन के लिये भौतिक एवं आर्थिक, दोनों रूपों में खाद्यान्नों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है।" (खाद्य और कृषि संगठन, 1983)

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। काम और आयु के अनुसार अलग-अलग मात्रा में पोषण स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे- बढ़ते बच्चों, युवतियों, गर्भवती महिलाओं, कठोर श्रम में लगे मज़दूरों एवं एथलीटों को ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। भारत में इनमें से कई वर्गों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के समय भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती सामने आती रहती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन सबके बावजूद सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तथा मध्याह्न भोजन योजना (Mid–Day Meal Scheme) शामिल हैं। इसके अलावा भी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, ताकि संबंधित वर्गों को उचित पोषण स्तर उपलब्ध कराया जा सके।

13.1 खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्त्वपूर्ण क्यों है? *(Why is the Issue of Food Security Important?)*

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत के लिये राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:-

अध्याय
14

सतत् विकास एवं समावेशी विकास (Sustainable Development and Inclusive Development)

सतत् विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। इसका विकास इस तरह से होता है कि व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित परिणामों पर विचार कर लेना चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे निर्णय एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा हमारे कार्यों का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में सतत् विकास ऐसा विकास है, जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

14.1 सतत् विकास *(Sustainable Development)*

'सतत् विकास' शब्द का प्रयोग 1980 के दशक के अंत में 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) नामक रिपोर्ट जिसे 'द ब्रंटलैंड रिपोर्ट' (The Brundtland Report) के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद व्यापक रूप से किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिये परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन-सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिये पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। इस आयोग का औपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (The World Commission on Environment and Development) था। इसने मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उस क्षय के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। आयोग की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशिष्ट रूप से दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था-

- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर्संबंधित हैं।
- सतत् विकास के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है।

सतत् विकास की संकल्पना हमारे आस-पास तथा विश्व के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में आवश्यक परिवर्तन लाती है और उसी के अनुरूप हम सरकार से निर्णयों की आशा करते हैं। अक्सर सरकारें आर्थिक विकास का त्याग किये बिना विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों संबंधी प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती हैं, लेकिन ऐसा संतुलन स्थापित करना सरकारों के लिये एक जटिल चुनौती होती है।

सतत् विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर्संबंधित हैं। एक समय में इन तीनों में से केवल एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक एवं पर्यावरणीय हानि होती है जो दीर्घकाल में समाज को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन पर्यावरण की देखभाल एवं लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये कुछ मात्रा में आर्थिक संसाधन अवश्य चाहिये।

संक्षेप में सतत् विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

- आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है।
- पर्यावरणीय रूप से दूषित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिकी अनुकूल शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है।

अध्याय
15

भारत का वैदेशिक क्षेत्र (External Sector of India)

15.1 भुगतान संतुलन खाता *(Balance of Payment Account)*

भुगतान संतुलन खाते की अवधारणा

भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इस लेन-देन में उस देश की वस्तुओं, सेवाओं एवं वित्तीय पूंजी का आयात-निर्यात तथा वित्तीय हस्तांतरण हेतु भुगतान शामिल होते हैं।

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है-एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे-स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे-प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, "एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।" इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।
- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-

1. दृश्य मदें (Visible Items)

इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।

2. अदृश्य मदें (सेवाएँ) (Invisible Items)

अदृश्य मदों में सेवाएँ आती हैं और इसके आयात-निर्यात को सेवा खाता (Service A/c) के तहत दिखाया जाता है अर्थात् सेवाओं के आयात-निर्यात का अर्थ है, अदृश्य मदों का आयात-निर्यात।

इसके तहत निम्नलिखित मदें आती हैं-

- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनी, जहाज़रानी तथा एयरलाइंस से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान;
- इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि विशेषज्ञों की सेवाओं से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान;
- विद्यार्थियों, पर्यटकों, दूतावास कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों द्वारा प्रयोग की गई सेवाओं से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान;
- ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी आदि से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान।

चालू खाता (Current Account)	व्यापार खाता (Trade Account)	1. निर्यात (Export – X) 2. आयात (Import – M) 3. व्यापार शेष (Balance of Trade or X – M)
	अदृश्य खाता (Invisible Account)	4. अदृश्य शेष (Invisible Balance) (क) कारक सेवा व्यापार शेष (Factor Service Balance of Trade) (i) निजी अंतरण/प्रेषण (Private Transfer/Remittance)

अध्याय
16

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन (Social Backwardness of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities)

16.1 अनुसूचित जाति *(Scheduled Caste)*

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32,74,269 है, जो कि कुल जनसंख्या का 12.82% है। आज भारत की आजादी को लगभग 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं तथा अनुसूचित जाति के लिये अनेक कानून और नियम भी बनाए गए हैं। साथ ही भारत के संविधान में भी विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता के कारण समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक भेदभाव का शिकार होने के कारण इनका विकास अवरुद्ध है। इसका विस्तार निम्नलिखित है:-

सामाजिक पिछड़ापन

1. अस्पृश्यता-संविधान में अस्पृश्यता निरोधक कानून बनने के बावजूद भी आज यह वर्ग समाज में अपेक्षित विकास से वंचित है।
2. सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर रोक।
3. शिक्षा एवं मनोरंजन पर रोक।
4. सामाजिक संपर्क पर रोक।
5. **अस्पृश्यों के भीतर भी संस्तरण:** अनुसूचित जाति को समाज में अस्पृश्यता सहन करनी पड़ती है परंतु इसके बावजूद यह जाति स्वयं ही अपने समाज में भी एक वर्ग का निर्माण करती है। जिसमें ऊँच-नीच का सामना करना पड़ता है, जोकि इनके लिये अभिशाप है तथा पिछड़ेपन का भी मुख्य कारण है।

आर्थिक पिछड़ापन

1. **संपत्ति संबंधित पिछड़ापन**- समाज में उचित सम्मान न होने के कारण एवं व्यवसाय की जानकारी न होने के कारण आज भी इस समाज का कुछ वर्ग अत्यंत पिछड़ेपन का सामना कर रहा है।
2. **व्यावसायिक निर्योग्यता**- भेदभाव के कारण यह समाज व्यवसाय से भी वंचित है तथा पिछड़ेपन का मुख्य कारण है।
3. **आर्थिक शोषण**- शिक्षित न होने के कारण तथा समाज में उचित स्थान न मिलने के कारण इस जातिवर्ग का आज भी आर्थिक शोषण किया जाता है, जोकि पिछड़ेपन का एक कारण है।

धार्मिक पिछड़ापन

1. **मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध**- भारत में महात्मा गांधी, बी.आर.अंबेडकर तथा छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे महान व्यक्तियों के अथक प्रयासों पर अनुसूचित जाति को समाज में एक उचित सम्मान तो मिला, परंतु आज भी यह वर्ग मंदिर तथा तीर्थ जैसे स्थलों पर निरादर एवं पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं।
2. **धार्मिक सुख-सुविधाओं से वंचित**- समाज में इस वर्ग का अपना एक विशेष पर्व एवं मान्यताएँ हैं, क्योंकि इन्हें आम समाज से आज भी पृथक् नजरिये से देखा जाता है।
3. **धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध**- प्राचीन काल से चली आ रही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व, शूद्र, की वर्ण व्यवस्था समाज में आज भी किसी न किसी स्तर पर गतिशील है। जिन कारणों से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सामाजिक एवं धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, जो कि इस समाज के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में से एक है।

अध्याय
17

छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण (Socio- Economic and Political Empowerment of Women in Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ को समृद्धि की ओर ले जाने में प्रदेश की महिलाओं की भूमिका अतुलनीय है। यहाँ की महिलाएँ खुद संगठित होकर सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं और छत्तीसगढ़ को भी सुसंगठित तथा सशक्त बनाने में लगी हुई हैं। राज्य के विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी न हो। प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने, नशामुक्ति, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने की दिशा में यहाँ की किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की सक्रियता काबिले तारीफ है। राज्य शासन भी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रतिबद्ध है।

17.1 छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सशक्तीकरण *(Women Empowerment in Chhattisgarh)*

महिला सशक्तीकरण के संकेतक *(Indicator for Women Empowerment)*

1. **संज्ञानात्मक**- इसका अर्थ यह है कि महिला छोटे तथा बड़े स्तर पर अपनी भागीदारी तथा परिस्थितियों को समझ सके। यह निर्णयन से जुड़ती है।
2. **मनोवैज्ञानिक**- इसका अर्थ है कि महिला व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर भागीदारी दे सकती है।
3. **आर्थिक**- महिलाओं की उत्पादक स्रोतों पर पहुँच तथा अधिकार के द्वारा आर्थिक स्वाधीनता पा सकती है। हालाँकी इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्थिक अधिकारों में परिवर्तन से लिंग की परंपरागत भूमिका में कोई परिवर्तन हो।
4. **राजनैतिक**- यह कहता है कि महिला में क्षमता है कि वह विश्लेषण, संगठन तथा गतिविधियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन ला सके। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम तथा अन्य प्रावधानों में इस संदर्भ में प्रयास किये गए हैं।
5. **शारीरिक**- खुद के शरीर पर अधिकार होना तथा खुद की यौन हिंसा से रक्षा।
6. **सामाजिक**- इस संकेतक से तात्पर्य महिलाओं की समाज में भागीदारी एवं स्थिति में सुधार से है।

महिला सशक्तीकरण के मापदंड

- आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास बढ़ाना।
- भेदभाव तथा हर तरह की हिंसा को खत्म करना।
- महिला संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ सहभागिता करना।
- संवैधानिक तथा न्यायिक उपबंधों के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- समाज में महिला की सकारात्मक छवि का निर्माण तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सहभागिता की पहचान करना।
- महिलाओं में सूक्ष्म चिंतन की क्षमता का विकास।
- निर्णयन तथा सामूहिक क्रिया का विकास
- महिलाओं का अवगत विकल्पों के साथ निर्णयन।
- महिलाओं की जीवन के हर क्षेत्र में सहभागिता।

अध्याय
18

छत्तीसगढ़: आर्थिक समीक्षा एवं बजट
(Chhattisgarh : Economic Survey and Budget)

18.1 आर्थिक समीक्षा, 2018-19 *(Economic Survey, 2018–19)*

छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.55 करोड जनसंख्या के साथ देश का सोलहवाँ बड़ा राज्य है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण क्षेत्र में 1001, शहरी क्षेत्र में 956) है, जो भारत संघ में 5वें स्थान को इंगित करता है। राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, जो घटकर 2016 की स्थिति में 39 हो चुकी है। इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है, जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।

मातृ मृत्यु दर 2001-03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 130 व 173 ((SRS Report 2015) हो गई। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में प्रसव अस्पतालों के प्रति गर्भवती माताओं का विश्वास बढ़ा हैं। शासकीय अस्पतलों में NFHS-3 वर्ष 2005-06 में 6.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 55.9 प्रतिशत हो गया है। NFHS-3 वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसव 14.3 प्रतिशत प्रसव होता था। जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में वृद्धि क्रमशः 5.00, 10.00, 1.77, 2.80, 8.54, 5.41 एवं 6.08 तथा औसत वृद्धि 5.66 प्रतिशत दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2018-19 में विशेष वृद्धि देखी गई है। यह स्थिति विकासशील देश में प्रायः परिलक्षित होती है। वर्ष 2018-19 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 17.21 एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 47.17 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.63 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य

कृषिः इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 6.63, -0.95, 17.71, -0.68 एवं 3.99 तथा औसत वृद्धि 5.34 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में प्रदेश में कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण वृद्धि क्रमशः -0.95% एवं -0.68 प्रतिशत थी। वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धिदर 17.71% प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, वहीं निरंतर, किंतु धीमी गति में घटते हुए वर्ष 2018-19 में 17.21% प्रतिशत पर आ गई है।

उद्योगः इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 15.55%, 1.94%, 9.92%, 4.69% तथा 5.36% तथा औसत वृद्धि 4.07% दर्ज की गई। वर्ष 2011-12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27 प्रतिशत थी, वर्ष 2018-19 में 47.17 प्रतिशत संभावित है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation